

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5771/2021

निंदर सिंह पुत्र श्री महेंद्र सिंह, आयु लगभग 64 वर्ष, बी/सी रामगढिया सिख, निवासी
गांव 49 आर बी तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव शिक्षा विभाग (माध्यमिक) सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक/आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, श्री गंगानगर, राजस्थान।
4. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, निदेशालय जयपुर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री सुशील बिश्रोई

श्री डी.एस. पिडियार

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विशाल जांगिड़

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

03/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी राशि से 24% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज सहित 1,14,550/- रुपये की राशि वसूलने के लिए की गई कार्रवाई से उत्पन्न हुई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को शुरू में वर्ष 1983 में शिक्षक ग्रेड-III

के रूप में नियुक्त किया गया था, और परीक्षा अवधि पूरी होने के बाद उसकी सेवा की पुष्टि की गई थी। वर्ष 1992 में, याचिकाकर्ता को 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पहला चयन ग्रेड दिया गया था, और वर्ष 2001 में, याचिकाकर्ता को शिक्षक से वरिष्ठ शिक्षक के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था।

2.1 तत्पश्चात्, वर्ष 2009 में याचिकाकर्ता को 2006-07 के रिक्त पद के विरुद्ध नियमित पदोन्नति प्रदान की गई तथा वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता को 01.09.2006 से द्वितीय चयन ग्रेड प्रदान किया गया। तृतीय चयन ग्रेड 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 10.12.2010 से प्रदान किया गया।

2.2 याचिकाकर्ता 30.04.2014 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उसकी ग्रेच्युटी राशि से 1,14,540/- रुपए की राशि यह कहते हुए वसूल की गई कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2001 से गलत तरीके से पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है, जबकि वर्ष 2009 में उसे नियमित पदोन्नति दी गई थी। इसलिए यह रिट याचिका।

3. उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बचाव किया गया है कि याची को वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्ति एक पृथक समीक्षा एवं पुनरीक्षण सूची के आधार पर दी गई थी, न कि नियमित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से। समीक्षा एवं पुनरीक्षण सूची अगले चयन वर्ष की डी.पी.सी. की तिथि अथवा चयन वर्ष की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहती है। सेवा में संवर्गित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता इन नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जानी है। नियमित एवं मौलिक पदोन्नतियां अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करने, आपत्तियां आमंत्रित करने, आपत्तियों पर निर्णय लेने, अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करने तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के पश्चात् होती है। याची का यह मामला नहीं है कि दिनांक 19.11.2001 के आदेश पारित करते समय ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी। केवल समीक्षा एवं पुनरीक्षण सूची के आधार पर पदोन्नति के लिए याची किसी वित्तीय लाभ का हकदार नहीं है/था। दिनांक 19.11.2001 और 20.6.2009 के आदेशों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को उसकी वरिष्ठता के अनुसार डीपीसी बैठक द्वारा वर्ष 2006-07 की रिक्तियों के विरुद्ध नियमित रूप से और मौलिक रूप से पदोन्नत किया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता वर्ष 2006-07 की रिक्तियों के विरुद्ध नियमित पदोन्नति पर ही वित्तीय लाभ का हकदार था। गलत लाभ के लिए कटौती सही तरीके से की गई है और याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं, जो संबंधित पक्षों द्वारा दायर की गई दलीलों की तर्ज पर हैं।

5. दलीलों के संदर्भ में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दायर उत्तर के प्रारंभिक आपत्ति पैरा-बी को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

“बी. यह पहली बार में सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पूरी तरह से योग्यता से रहित है और इस माननीय न्यायालय द्वारा खारिज करने योग्य है। इस संबंध में, यह इंगित करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता को 19.11.2001 के आदेश द्वारा वरिष्ठ शिक्षक (सामान्य) के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई थी, इस शर्त के साथ कि उक्त पदोन्नति नियमित डीपीसी की उपलब्धता के अधीन है। हालांकि, याचिकाकर्ता को उसके मूल पद के वेतनमान के हकदार होने के बजाय वरिष्ठ शिक्षक के पद का वेतनमान गलत तरीके से प्रदान किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2006-07 की रिक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसरण में उचित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद 20.6.2009 के आदेश द्वारा वरिष्ठ शिक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठ अध्यापक के पद के वेतनमान का वास्तविक लाभ तथा 1.4.2006 से काल्पनिक लाभ पाने का हकदार था। याचिकाकर्ता को पता था कि उसे उसके हक से अधिक भुगतान मिल रहा था। याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से बिना किसी विरोध के वसूली राशि जमा करने पर सहमति जताई, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसे गलत तरीके से लाभ दिया गया था और उसने बहुत देरी से तत्काल रिट याचिका दायर की है।”

6. उपर्युक्त से, प्रतिवादियों द्वारा इस प्रकार लिया गया स्वीकार्य रख यह है कि न केवल याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह की कोई छिपाव या गलत बयानी का आरोप नहीं लगाया गया है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या गुप्त रूप से, बल्कि अन्यथा भी वर्ष 2001 में गलत वेतन निर्धारण हुआ था, जो सीधे तौर पर विभाग के वरिष्ठों के कारण हुआ था।

7. विभाग ने इस पर विचार किया और याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद ही वर्ष

2014 में 13 वर्ष बीत जाने के बाद याचिकाकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए पहली बार कार्रवाई की गई। कम से कम यह कहा जा सकता है कि इस तरह का सहारा केवल देरी और कुटिलता के कारण स्वीकार्य नहीं है, जिसके लिए विभाग स्वयं जिम्मेदार है।

8. श्याम बाबू वर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ भी लिया जा सकता है। (1994) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 521 में रिपोर्ट किया गया। उपर्युक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा संख्या 10 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"10. वर्तमान मामले के तथ्यों में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जब याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता के संदर्भ में फार्मासिस्टों की एक अलग श्रेणी से संबंधित हैं। हमारे अनुसार, फार्मासिस्ट ग्रेड-बी की दो श्रेणियों के लिए दो वेतनमान लागू करने के प्रतिवादियों के फैसले में मनमानी का कोई तत्व नहीं है। यह संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।"

9. उपरोक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए इसी प्रकार के अन्य निर्णय में विधिवत प्रतिध्वनित किया गया है, जिसे एआईआर 2022 सुप्रीम कोर्ट 2153 में रिपोर्ट किया गया है। प्रासंगिक पैरा संख्या 10 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“(10) साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक आदेश की गलत व्याख्या के कारण उन्नत वेतनमान के तहत दिए गए भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी, कर्मचारियों की ओर से किसी भी तरह की गलत बयानी के बिना। यह इस प्रकार माना गया:

“5. बेशक अपीलकर्ता के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता छूट का हकदार नहीं होगा। प्रिंसिपल ने उसे छूट देने में गलती की। छूट की तारीख से, अपीलकर्ता को संशोधित वेतनमान पर उसका वेतन दिया

गया था। हालाँकि, यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए किसी गलत बयानी के कारण नहीं है कि उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था, बल्कि प्रिंसिपल द्वारा गलत व्याख्या के कारण है जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में आज तक भुगतान की गई राशि अपीलकर्ता से वसूल नहीं की जा सकती है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान पर लागू नहीं होगा। अपील को आंशिक रूप से लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना अनुमति दी जाती है।”

10. उपर्युक्त के मद्देनजर, रिट याचिका को आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है। आरोपित वसूली आदेश को निरस्त किया जाता है तथा आगामी परिणामों के साथ इसे रद्द किया जाता है।

11. याचिकाकर्ता से वसूली गई राशि सेवा नियमों के अनुसार लागू ब्याज के साथ उसे वापस की जाएगी।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।